संसदीय कार्य मंत्रालय

संक्षिप्त रिपोर्ट

www.mpa.gov.in

विषय-सूची

क: संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षिप्त विवरण 2

1. विधायी कार्य 3
2. अन्य विधायी सूचना.....6
3. परामर्शदात्री समितियां.....7
4. आश्वासन (लोक सभा और राज्य सभा) 7
5. युवा संसद.....9
6. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन..... 12
7. संसद सदस्यों के सद्भावना शिष्टमंडलों के विदेश दौरे..... 13
8. संसद सदस्यों का कल्याण..... 14
9. संसद में विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं के साथ संपर्क 14
10. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन..... 15
11. मंत्रालय में हिंदी का प्रयोग..... 18
12. संविधान दिवस समारोह, 2023..... 19
13. एनआईसी की साइबर सुरक्षा के अनुपालन की स्थिति पर टिप्पणी..... 20
14. मंत्रालय के स्टाफ का क्षमता निर्माण 20
15. विशेष अभियान और स्वच्छ भारत मिशन..... 21
16. सोशल मीडिया संबंधी कार्य 22
17. **परिशिष्ट** 23

क: जनवरी से दिसंबर, 2023 के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षिप्त विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। संसद में सरकार की ओर से विविध और वृहद संसदीय कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार मंत्रालय, संसद में सरकारी कार्य के संबंध में संसद के दोनों सदनों एवं सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। मई, 1949 में एक विभाग के रूप में स्थापित, जिसे मुख्यत: उपरोक्त कार्य सौंपे गए थे, यह अब एक सम्पूर्ण मंत्रालय है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए गए भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को आबंटित कार्य **परिशिष्ट** में दिए गए हैं।

प्रशासनिक स्तर पर मंत्रालय का नेतृत्व एक सचिव द्वारा किया जाता है जिनकी सहायता एक अपर/संयुक्त सचिव, एक निदेशक, तीन उप सचिवों और आठ अवर सचिवों सहित अन्य अधीनस्थ अधिकारियों और स्टाफ द्वारा की जाती है।

मंत्रालय का राजनीतिक नेतृत्व

मंत्रालय एक कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करता है जिनकी सहायतार्थ दो राज्य मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों का विवरण निम्न प्रकार हैं-:

1. श्री प्रल्हाद वेंकटेश जोशी, कैबिनेट मंत्री (30.05.2019 से आज तक)
2. श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री (लोक सभा) (30.05.2019 से आज तक)
3. श्री वी. मुरलीधरन, राज्य मंत्री (राज्य सभा) (30.05.2019 से आज तक)

विधायी कार्य

1. संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान

संविधान के अनुच्छेद 85 के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वे संसद के प्रत्येक सदन की बैठक ऐसे समय और स्थान पर बुला सकती हैं जैसा कि वे उचित समझें और समय समय पर-दोनों सदनों या किसी एक सदन का सत्रावसान कर सकती हैं अथवा लोक सभा को भंग कर सकती हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा के चार सत्र आयोजित हुए:-

लोक सभा

सत्र	अवधि	अनिश्चितकाल के लिए स्थगन की तारीख	सत्रावसान की तारीख	बैठकें
11वां	31.01.2023 से 06.04.2023	06.04.2023	10.04.2023	25
12वां	20.07.2023 से 11.08.2023	11.08.2023	12.08.2023	17
13वां	18.09.2023 से 21.09.2023	21.09.2023	26.09.2023	4
14वां	04.12.2023 से 21.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	14

राज्य सभा

सत्र	अवधि	अनिश्चितकाल के लिए स्थगन की तारीख	सत्रावसान की तारीख	बैठकें
259वां	31.01.2023 से 06.04.2023	06.04.2023	10.04.2023	25
260वां	20.07.2023 से 11.08.2023	11.08.2023	12.08.2023	17
261वां	18.09.2023 से 21.09.2023	21.09.2023	26.09.2023	4
262वां	04.12.2023 से 21.12.2023	21.12.2023	29.12.2023	14

2. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

2.1 संविधान का अनुच्छेद 87(1) राष्ट्रपति को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में भी संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक में अभिभाषण करने के लिए आदिष्ट करता है।

2.2 वर्ष 2023 के दौरान माननीय राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण देने की तारीख, धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक के नाम और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लिया गया समय निम्न प्रकार है:-

सत्रहवीं लोक सभा का ग्यारहवां सत्र		
राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण देने की तारीख	**धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**
सत्रहवीं लोक सभा का ग्यारहवां सत्र		
31 जनवरी, 2023	श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (प्रस्तावक) श्री उदय प्रताप सिंह (अनुमोदक)	2, 3, 6 और 7 फरवरी, 2023 (स्वीकृत)
राज्य सभा का 259वां सत्र		
31 जनवरी, 2023	डॉ. के. लक्ष्मण (प्रस्तावक) श्री प्रकाश जावड़ेकर (अनुमोदक)	2, 6, 7 और 8 फरवरी, 2023 (स्वीकृत)

3. अध्यादेश

दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 की अवधि के दौरान, एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। अध्यादेश के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर की एक-एक प्रति संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखी गई। अध्यादेश के प्रख्यापन, सभा पटल पर रखने, संसद के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापन इत्यादि की तारीखों संबंधी विभिन्न विवरण की सूचना नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	अध्यादेश का शीर्षक और प्रख्यापन की तारीख	सभा पटल पर रखने की तारीख		अध्यादेश के प्रतिस्थापक विधेयक का पुर:स्थापन	विधेयक पर विचार करने और पारित करने की तारीख		स्वीकृति की तारीख और अधिनियम संख्या
		लोक सभा	राज्य सभा		लोक सभा	राज्य सभा	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 2023**	20.07.23	20.07.23	01.08.2023 (लो.स.)	03.08.2023	07.08.2023	2023 का 19 11.08.2023

4. विधायी कार्य

सत्रहवीं लोक सभा के 10वें सत्र तथा राज्य सभा के 258वें सत्र की समाप्ति पर कुल 35 विधेयक (लोक सभा में 9 विधेयक और राज्य सभा में 26 विधेयक) लंबित थे। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, दोनों सदनों में 46 विधेयक (लोक सभा में 41 विधेयक तथा राज्य सभा में 5 विधेयक) पुर:स्थापित किए गए, इस प्रकार कुल 81 विधेयक हो गए। इनमें से, संसद के दोनों सदनों द्वारा वर्ष 2023 के दौरान 49 विधेयक पारित किए गए। लोक सभा में 4 विधेयक तथा राज्य सभा में 2 विधेयक वापस लिए गए। इस वजह से दिनांक 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार संसद के दोनों सदनों में कुल 26 विधेयक (5 लोक सभा में और 21 राज्य सभा में) लंबित रह गए।

5. वित्तीय कार्य

5.1 क. वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी, 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा हुई। लोक सभा में केंद्रीय बजट से संबंधित अनुदान मांगों पर बिना चर्चा के मतदान हुआ जबकि वर्ष 2023-24 की अनुपूरक अनुदान मांगों और वर्ष 2020-21 की अतिरिक्त अनुदान मांगों पर भी चर्चा हुई और पूर्ण मतदान हुआ।

5.2 ख. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का बजट भी 13 मार्च, 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वर्ष 2023-24 की अनुदान मांगों और वर्ष 2022-23 की अनुपूरक अनुदान मांगों पर जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट के साथ ही चर्चा की गई और उन पर पूर्ण मतदान हुआ।

6. संसद का विशेष सत्र, 2023

6.1 **संसद की नई इमारत**: सितंबर, 2023 एक ऐतिहासिक अवसर था जब नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया गया। संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया था जो 18 सितंबर, 2023 को पुराने संसद भवन में शुरू हुआ जहां दोनों सदनों में 'संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्षों की संसदीय यात्रा- उपलब्धियां, अनुभव, स्मरण और सीख' विषय पर चर्चा हुई। प्रधान मंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने 19 सितंबर, 2023 को केंद्रीय कक्ष में उपस्थित संसद सदस्यों को संबोधित किया और तत्पश्चात सदनों ने नए संसद भवन में अपने-अपने कक्षों में अपनी कार्यवाही शुरू की। संसद की नई इमारत को 'संसद भवन' का नाम दिया गया, जबकि केंद्रीय कक्ष सहित पुराने संसद भवन को 'संविधान सदन' का नाम दिया गया है।

6.2 विशेष सत्र एक ऐतिहासिक क्षण का भी गवाह बना जब राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जन प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं को नीति निर्धारण में अधिक भागीदारी का उपबंध करने के लिए लोक सभा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के लिए "नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 अर्थात संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023" पारित किया गया। राज्य सभा में इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

6.3 वर्ष 2023 के दौरान, दोनों सदनों ने देश के सफल चंद्रयान-3 मिशन के संदर्भ में "राष्ट्र के अंतरिक्ष कार्यक्रम" की सराहना करते हुए संबंधित संकल्प पर विचार किया और उसे स्वीकृत किया।

7. आयोजित चर्चा

दोनों सदनों में 'संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्षों की संसदीय यात्रा- उपलब्धियां, अनुभव, अनुस्मरण और सीख' और 'चंद्रयान-3 मिशन की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे देश की अन्य उपलब्धियां' पर चर्चा हुई। राज्य सभा में नियम 176 के तहत 'देश में आर्थिक स्थिति' पर एक अल्पकालिक चर्चा भी हुई।

अन्य विधायी सूचना

8. नियम 377 के तहत मामले (लोक सभा) और विशेष उल्लेख (राज्य सभा)

8.1 लोक सभा के जो सदस्य कोई ऐसा मामला सदन के ध्यान में लाना चाहते हैं जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, उन्हें अध्यक्ष द्वारा लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के तहत मामला उठाने की अनुमति दी जाती है। राज्य सभा में, सभापति सदस्यों को राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 180ए-ई के तहत तत्काल लोक महत्व के मामलों का उल्लेख करने की अनुमति देते हैं, जिन्हें आम तौर पर विशेष उल्लेख के रूप में जाना जाता है। ये मामले आम तौर पर प्रश्नों और ध्यानाकर्षण के निपटान के बाद उठाए जाते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, नियम 377 के तहत लोक सभा में 1153 मामले उठाए गए, जिससे 17वीं लोक सभा के दौरान उठाए गए मामलों की कुल संख्या 5066 हो गई। इस मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, 4575 मामलों के संबंध में उत्तर दिए जा चुके हैं। जहां तक राज्य सभा में सदृश स्थिति का प्रश्न है, प्रतिवेदित अवधि के दौरान, नियम 180 ए-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से 134 मामले उठाए गए, जिसके परिणामस्वरूप कुल 1692 मामले हो गए। इनमें से, 1553 मामलों का उत्तर दिया जा चुका है।

8.2 "पॉलिसी ट्रेक - वरिष्ठ नीति निर्माताओं और प्रशासकों के साथ एक अनुबंध" विषय पर सचिव के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित करने के संबंध में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के अनुरोध पर मंत्रालय ने 5 अप्रैल, 2023 को आधे दिन का संवादात्मक सत्र आयोजित किया। उपरोक्त संवादात्मक सत्र कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के एक कार्यक्रम, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के मध्य-कैरियर पेशेवरों के लिए सार्वजनिक नीति में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया। इसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरटीएस, आईपी और टीएएफएस, राज्य लोक सेवाओं के अधिकारी और निजी और गैर-लाभकारी क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी और विधान सभा के एक सदस्य शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने भारत की संसद के कार्यों के बारे में प्रतिभागियों से बातचीत की और प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए। सत्र में कुल 45 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

8.3 तत्काल लोक महत्व के इन मामलों पर उत्तरों को सुव्यवस्थित करने और विचाराधीनता की स्थिति में किसी भी विसंगति को दूर करने के लिए, मंत्रालय ने हाल ही में नया सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो वास्तविक समय के आधार पर उत्तरों/स्थिति की आसानी से निगरानी करने के लिए सभी हितधारकों अर्थात लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय और सभी मंत्रालयों के लिए एक साझा प्लेटफार्म के रूप में काम करेगा। सॉफ्टवेयर के प्रदर्शन के लिए दिनांक 18.07.2023 को सभी मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों, लोक

सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय के प्रतिनिधियों के लिए आधे दिन की कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला में विभिन्न मंत्रालयों के 141 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया था।

परामर्शदात्री समिति और अनुसंधान

9. परामर्शदात्री समितियों की संरचना

9.1 वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी चालीस (40) परामर्शदात्री समितियाँ हैं।

9.2 विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी परामर्शदात्री समितियों ने 73 बैठकें कीं, जिनमें 13 बैठकें दिल्ली के बाहर हुईं।

9.3 171 संसद सदस्यों (118 लोक सभा से और 53 राज्य सभा से) को विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियों, कोंकण रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति, मेट्रो रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति में नामित किया गया;

9.4 10 संसद सदस्यों (5 लोक सभा से और 5 राज्य सभा से) को विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी विभिन्न परामर्शदात्री समितियों में नामित किया गया;

9.5 9 संसद सदस्यों (3 लोक सभा से और 6 राज्य सभा से) को भारत सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि में नामित किया गया;

9.6 15 संसद सदस्यों (3 लोक सभा से और 12 राज्य सभा से) को विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी हिंदी सलाहकार समितियों में नामित किया गया।

10. सांख्यिकी पुस्तिका का संशोधन

मंत्रालय की सांख्यिकी पुस्तिका का संशोधन और अद्यतनीकरण किया गया है।

आश्वासन (लोक सभा और राज्य सभा)

11. सरकारी आश्वासनों का कार्यान्वयन

11.1 प्रश्नों या अनुपूरकों का उत्तर देते समय या संसद में विधेयकों, संकल्पों, प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान, कभी-कभी मंत्री कुछ कार्रवाई करने या भविष्य में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने का आश्वासन देते हैं। सरकार इन आश्वासनों को पूरा करने और संबंधित सदन में एक रिपोर्ट पेश करने के लिए बाध्य होती है। संसदीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वय एजेंसी है कि मंत्रालय समय पर अपने आश्वासनों को पूरा करें।

11.2 मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाही से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को निकालता है और उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजता है। प्रत्येक सदन के लिए अभिव्यक्तियों का एक सेट होता है जो आश्वासन बनता है। ये अभिव्यक्तियाँ उदाहरणात्मक हैं, संपूर्ण नहीं। मंत्री के बयान को आश्वासन मानते समय इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि यह किस संदर्भ में दिया गया है और क्या यह उचित समय सीमा के भीतर पूरा होने योग्य है।

11.3 दिए गए सभी आश्वासनों को तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है। जहां किसी आश्वासन को पूरा करने में कुछ वास्तविक कठिनाइयों के कारण मंत्रालय की ओर से विलंब की आशंका होती है या उन्हें किसी वैध कारण से आश्वासन को पूरा करना संभव नहीं लगता है, तो मंत्रालय/विभाग सीधे लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय से, यथा स्थिति, समय बढ़ाने या किसी आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध करते हैं और उसकी सूचना इस मंत्रालय को भी देते हैं।

11.4 आश्वासनों की पूर्ति के संदर्भ में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री द्वारा, यथा स्थिति, लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है।

कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात, सभा पटल पर रखे गए प्रतिवेदनों की प्रतियां संबंधित सदस्यों को भेजी जाती हैं और उन्हें संसद पुस्तकालय में भी रखा जाता है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भी कार्यान्वयन प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाने के बारे में सूचित किया जाता है।

11.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में 237 आश्वासन दिए गए। जिनमें से 59 को सदन के पटल पर रखा गया, 2 को छोड़ दिया गया और 1 को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा द्वारा आश्वासन के रूप में नहीं माना गया और शेष 175 वर्ष के अंत में लंबित थे। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित 334 आश्वासनों के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन (5 आंशिक कार्यान्वयन प्रतिवेदनों सहित) भी सदन के पटल पर रखे गए। इसी प्रकार, प्रतिवेदित अवधि के दौरान राज्य सभा में दिए गए कुल 255 आश्वासनों में से, 61 आश्वासनों से संबंधित कार्यान्वयन प्रतिवेदन (15 आंशिक कार्यान्वयन प्रतिवेदनों सहित) सदन के पटल पर रखे गए, कोई भी आश्वासन छोड़ा नहीं गया और 31 को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा द्वारा आश्वासन के रूप में नहीं माना गया और शेष 178 वर्ष के अंत तक लंबित थे। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित 242 आश्वासनों के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन (77 आंशिक कार्यान्वयन प्रतिवेदनों सहित) भी सदन के पटल पर रखे गए।

11.6 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद को दिए गए लंबित आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहा है। आवधिक समीक्षा की जाती है और मंत्रालयों/विभागों को आश्वासनों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए स्मरण कराया जाता है। इस मंत्रालय द्वारा चलाए गए अभियान के परिणामस्वरूप, आश्वासनों के कार्यान्वयन की गति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कुशल निगरानी के लिए एक नई वेबसाइट https://oams.nic.in/ भी लॉन्च की गई है।

11.7 सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा ने अपना 79वां, 80वां, 81वां और 82वां प्रतिवेदन दिनांक 09.02.2023 को, 83वां, 84वां, 85वां, 86वां, 87वां, 88वां, 89वां और 90वां प्रतिवेदन दिनांक 27.07.2023 को और 91वां, 92वां, 93वां, 94वां, 95वां, 96वां और 97वां प्रतिवेदन दिनांक 19.12.2023 को लोक सभा को प्रस्तुत किया। इसी प्रकार, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा ने दिनांक 05.12.2023 को अपना 77वां प्रतिवेदन राज्य सभा को प्रस्तुत किया।

11.8 इस मंत्रालय ने 9 अक्टूबर, 2018 से ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (ओ.ए.एम.एस.) नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करके सदन की कार्यवाही से आश्वासनों को निकालने से लेकर कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तक, आश्वासन कार्य की पूरी प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया था। रिकॉर्ड अब पारदर्शी हैं और सभी हितधारकों के लिए एक समान है। इसके परिणामस्वरूप कागज, अन्य भौतिक संसाधनों, जनशक्ति, समय आदि की भी बचत हुई है:

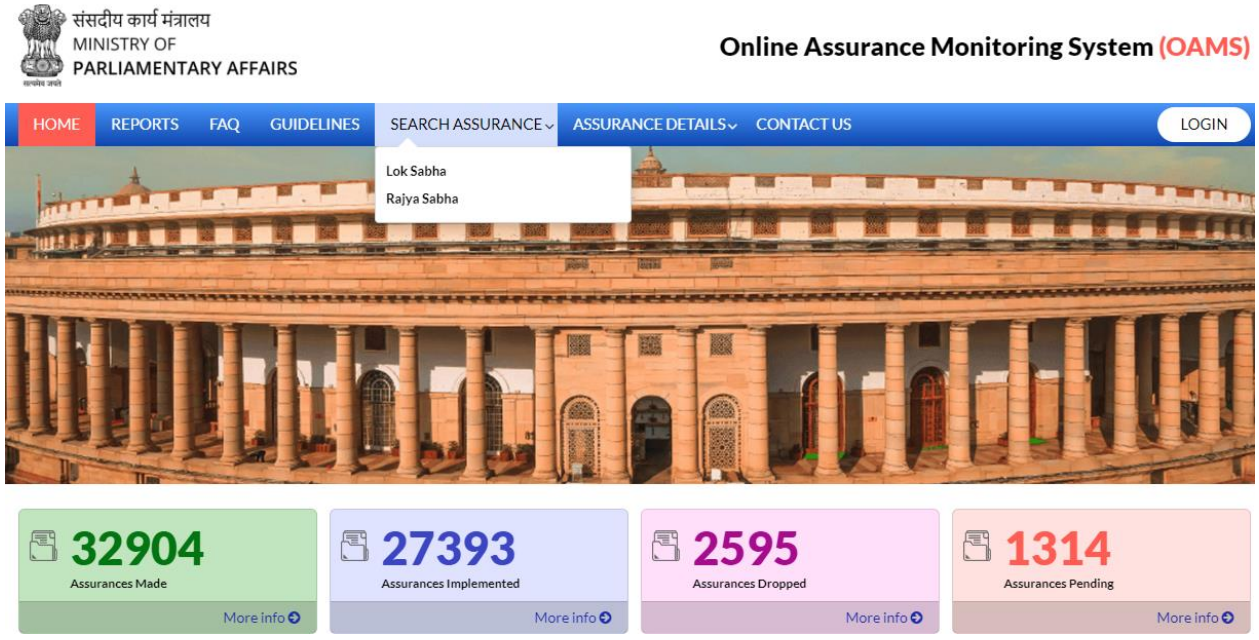

12. युवा संसद प्रतियोगिताएं

12.1 प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने, विद्यार्थी समुदाय में अनुशासन और दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता जैसी स्वस्थ आदतें विकसित करने और उन्हें संसद के कार्यचालन की जानकारी देने के उद्देश्य से, यह मंत्रालय निम्नलिखित युवा संसद प्रतियोगिताएं संचालित करता है:-

(क) दिल्ली के विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता;
(ख) केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता;
(ग) जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता;
(घ) विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता।

12.2 वर्ष के दौरान निम्नलिखित युवा संसद प्रतियोगिताओं के परिणाम घोषित किए गए:-

(क) दिल्ली के विद्यालयों के लिए 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23;
(ख) केंद्रीय विद्यालयों के लिए 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23;
(ग) जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23;
(घ) विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20

12.3 वर्ष के दौरान निम्नलिखित युवा संसद प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए जीएमसी बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किए गए:

(क) जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 के लिए 4 मई, 2023 को;

(ख) दिल्ली के विद्यालयों के लिए 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 के संबंध में 21 जुलाई, 2023 को;

(ग) केंद्रीय विद्यालयों के लिए 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 के संबंध में 1 सितंबर, 2023 को;

(घ) विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का पुरस्कार वितरण समारोह 16 फरवरी, 2024 को आयोजित होना नियत है।

12.4 वर्ष के दौरान, मंत्रालय द्वारा युवा संसद प्रतियोगिताओं के संचालन के संबंध में प्रतिभागी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रभारी शिक्षकों के लिए निम्नलिखित तारीखों में अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए:

(क) जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 हेतु 14 जुलाई, 2023 को;

(ख) केंद्रीय विद्यालयों के लिए 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 हेतु 4 अगस्त, 2023 को;

(ग) दिल्ली के विद्यालयों के लिए 56वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 हेतु 11 अगस्त, 2023 को;

12.5 वर्ष के दौरान, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 और विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है और दिल्ली के विद्यालयों के लिए 56वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 और जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 का मूल्यांकन कार्य जनवरी, 2024 तक पूरा होना नियत है।

12.6 युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भी किया जा रहा है। यह मंत्रालय युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2023 के दौरान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

12.7 युवा संसद कार्यक्रम के दायरे का अभी तक देश के अछूते वर्गों और क्षेत्रों तक विस्तार करने के उद्देश्य से, मंत्रालय द्वारा 26 नवंबर, 2019 को राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) के एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। एनवाईपीएस के तीसरे संस्करण के लिए पंजीकरण 31 मार्च, 2023 को दूसरे संस्करण के लिए पंजीकरण बंद करने के पश्चात 1 अप्रैल, 2023 को शुरू हुआ था।

12.8 मंत्रालय ने जनवरी, 2022 से अगस्त, 2023 तक प्रतिमाह कम से कम एक संस्था में आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर युवा संसद की विशेष बैठक आयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। जनवरी, 2023 से अगस्त, 2023 तक की अवधि के दौरान कुल मिलाकर 10 विशेष बैठकों का आयोजन किया गया था।

12.9 मंत्रालय द्वारा 'स्वच्छता ही सेवा' समारोह के भाग के रूप में 29 सितंबर, 2023 को केंद्रीय विद्यालय, गोल मार्किट, दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए एक अंतर विद्यालय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

12.10 केंद्रीय विद्यालय संगठन; नवोदय विद्यालय समिति; शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद से 75वें गणतंत्र दिवस, 2024 के समारोह के मद्देनजर अपने विद्यार्थियों हेतु निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने का अनुरोध किया गया है।

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

13. सचेतकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए तथा संसद और राज्य विधानमंडलों में सचेतकों के बीच विचारों के परस्पर आदान-प्रदान और आवधिक बैठकों के लिए एक उपयुक्त मंच उपलब्ध कराने के लिए, मंत्रालय समय-समय पर अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित करता रहा है। वर्ष 1952 से अब तक अठारह अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं।

14. संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन

14.1 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 के अंतर्गत, संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति, जिसमें क्रमश: अध्यक्ष, लोक सभा और सभापति, राज्य सभा द्वारा नामांकित लोक सभा के 10 सदस्य और राज्य सभा के 5 सदस्य शामिल होते हैं, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों पर नियम बनाने के लिए गठित की जाती है। संयुक्त समिति की सिफारिशों पर लोक/राज्य सभा सचिवालयों एवं संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस मंत्रालय में कार्रवाई की जाती है। जहां आवश्यक हो विधि-निर्माण के लिए कार्रवाई की जाती है।

14.2 संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम, 1954 को वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से संशोधित किया गया था जिसके द्वारा वेतन, भत्तों और पेंशन में दिनांक 01.04.2018 से वृद्धि की गई थी।

14.3 वर्ष 2023 के दौरान, 17 मई, 2023 और 7 दिसंबर, 2023 को संयुक्त समिति की दो बैठकें आयोजित हुई।

15. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

लोक सभा और राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों के प्रतिवेदनों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है। वर्ष के दौरान लोक सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 28वां प्रतिवेदन 24 मार्च, 2023 को सभा पटल पर रखा गया था, जिस पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई।

16. नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों की व्यवस्था

संसदीय प्रणाली का सुचारू कार्यचालन बहुत हद तक विधानमण्डलों में दलीय मशीनरी की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। संसद में दलों तथा ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक दल के महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता होते हैं, जो विधानमंडलों में दलों और ग्रुपों के सुचारू कार्यचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में, संसद में सभी दलों/ग्रुपों के नेताओं/मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों में कार्य के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

संसद सदस्यों के सद्भावना शिष्टमंडलों के विदेश दौरे

17. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान

17.1 निरन्तर और तेजी से परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, हमारी राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और समस्याओं को सही और स्पष्ट रूप से विभिन्न देशों में प्रसारित व प्रचारित करने और उनके दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी। किसी भी देश के संसदविद उस देश की नीति के निर्धारण और अन्य देशों से संबंधों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, संसदीय कार्य मंत्रालय विभिन्न देशों में संसद सदस्यों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल के दौरे प्रायोजित करता रहा है। मंत्रालय अन्य देशों से भी ऐसे शिष्टमंडलों की अगवानी करता है।

17.2 संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडल का विदेश दौरा:

इस अवधि के दौरान, माननीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री, श्री प्रल्हाद जोशी के नेतृत्व में संसद के दोनों सदनों के विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं, मुख्य सचेतकों और संसद सदस्यों के एक सद्भावना शिष्टमंडल ने 11 से 19 जून, 2023 तक ब्राजील और उरुग्वे का दौरा किया:-

17.3 संसद सदस्यों के विदेश दौरे

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 2 संसद सदस्यों (1 सदस्य लोक सभा से और 1 सदस्य राज्य सभा से) ने विदेश के अपने निजी/अध्ययन दौरों के बारे में इस मंत्रालय को सूचित किया। इन सदस्यों की मांग पर, विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में हमारे मिशनों के माध्यम से उन्हें अपेक्षित सहायता प्रदान की गई।

17.4 **विदेशों से आए शिष्टमंडलों के साथ बैठक**

विदेश में शिष्टमंडल भेजने के अलावा, विदेशों से आए विभिन्न शिष्टमंडल संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री से मुलाकात करते हैं और संसद के कामकाज और आपसी हित के अन्य मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। इस वर्ष, अर्जेंटीना और ब्राजील के दो ऐसे संसदीय शिष्टमंडलों ने क्रमशः 6.2.2023 और 18.7.2023 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री से मुलाकात की।

17.5 **विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन**

संसदीय कार्य मंत्री ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुरोध पर जून, 2023 के दौरान चिली में दूसरे संसदीय शिखर सम्मेलन के लिए दो संसद सदस्यों का नामांकन किया।

18. संसद सदस्यों का कल्याण

18.1 ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्यों की आवश्यकताओं की देख-रेख करने के उद्देश्य से**,** दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के साथ अस्वस्थ संसद सदस्यों की दिन-प्रतिदिन की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी टेलीफोन संदेश द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस मंत्रालय के अधिकारी सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा सदस्य द्वारा मांगी गई अन्य कोई सहायता प्रदान करने के लिए अस्पताल का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री एवं उच्च अधिकारी भी शिष्टाचार के नाते अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में**,** जब-जब अपेक्षित हो**,** जानकारी लेते हैं।

18.2 संसदीय कार्य मंत्रालय अपनी वेबसाइट **http://www.mpa.gov.in** पर दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बीमार संसद सदस्यों की द्विभाषी जानकारी दैनिक आधार पर उपलब्ध कराता है।

19. संसद में विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं के साथ संपर्क

संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों और समूहों के नेताओं और सचेतकों के साथ संपर्क करना भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत इस मंत्रालय को आबंटित प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रोटोकॉल और कल्याण अनुभाग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/समूहों के नेताओं में सर्वसम्मति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों के लिए आवश्यक व्यवस्था/समन्वय करता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बैठकें बुलाई गई:

क्र. सं.	**तारीख और स्थान**	**विषय**	**जिसने अध्यक्षता की**	**संबंधित मंत्रालय**
1.	30.01.2023 जी- 074, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली	बजट सत्र का सुचारू कार्यचालन	संसदीय कार्य मंत्री	संसदीय कार्य मंत्रालय
2.	19.07.2023 जी- 074, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली	मानसून सत्र का सुचारू कार्यचालन	संसदीय कार्य मंत्री	संसदीय कार्य मंत्रालय
3	17.09.2023 जी- 074, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली	संसद सत्र का सुचारू कार्यचालन	संसदीय कार्य मंत्री	संसदीय कार्य मंत्रालय
4.	02.12.2023 जी- 074, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली	शीतकालीन सत्र का सुचारू कार्यचालन	संसदीय कार्य मंत्री	संसदीय कार्य मंत्रालय

20. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन

20.1 परिचय: ई-विधान राज्य श्रेणी के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (डीआईपी) के तहत एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) है। ई-विधान के अंतर्गत, राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) 'एक राष्ट्र-एक एप्लिकेशन' के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी राज्य विधानमंडलों को डिजिटल सदनों में परिवर्तित करके उनके कार्य-संचालन का डिजिटलीकरण करना है। नेवा राज्य सरकार के विभागों के साथ सूचना के निर्बाध आदान-प्रदान और सार्वजनिक पोर्टल पर अनुमोदित सामग्री के वास्तविक समय के प्रकाशन को सक्षम करते हुए विधानसभाओं के भीतर संपूर्ण सरकारी कामकाज के कागज रहित संचालन की सुविधा प्रदान करती है। यह राज्य विधानमंडल के सदस्यों को नवीनतम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों का लाभ उठाकर विधायी चर्चा में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए भी समर्थ बनाती है। यह अधिक भागीदारी और सुविज्ञ निर्णय लेने को बढ़ावा देकर विधायी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाती है।

संसदीय कार्य मंत्रालय को विधान सभाओं/परिषदों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नेवा मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के कार्यान्वयन के लिए और विधानमंडलों सहित सभी 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय ई-विधान ऍप्लिकेशन (नेवा) के रूप में पुनः अभिहित ई-विधान को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने हेतु 'नोडल मंत्रालय' के रूप में नियुक्त किया गया है।

20.2 मिशन और परियोजना के उद्देश्य: नेवा परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित सुनिश्चित करना है:

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों को सूचना/डेटा का इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह और वितरण सुनिश्चित करने और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ बातचीत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल सचिवालयों की सभी शाखाओं का संपूर्ण कंप्यूटरीकरण।
- अभिज्ञात सेवाओं और उनकी प्रक्रियाओं की बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) करके बेहतर सेवा स्तरों के साथ सेवाओं का कुशल परिदान।
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में नेवा केंद्रों पर राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, संबंधित राज्य विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारियों और राज्य सरकार के विभागों के अन्य अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और अभिविन्यास कार्यक्रम।
- सभी हितधारकों की विश्वसनीयता, दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक पोर्टलों और डैशबोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं (सूचना प्रसार) का परिदान।
- डिजिटल विधानमंडल: सदन में टच स्क्रीन/टैबलेट उपकरणों की स्थापना।
- राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को एक टैबलेट डिवाइस प्रदान करना (यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पहले से ही प्रदान/प्रावधान नहीं किया गया है)।
- नेवा के ई-बुक मॉड्यूल के माध्यम से सदन के पटल पर सभी रिपोर्ट/दस्तावेजों और कागज-पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखने जैसी सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक परिदान के लिए विधानमंडल के सदन (सदनों) में आवश्यक हार्डवेयर/एक्सेस डिवाइस की तैनाती।
- सभी एप्लिकेशन को उपयोक्ता अनुकूल और डिवाइस स्वतंत्र बनाना ताकि विभिन्न हितधारकों द्वारा उनके उपयोग में बढ़ोतरी हो।
- सभी राज्य विधानमंडलों के लिए मोबाइल फ्रेंडली पोर्टल (द्विभाषी) बनाना और सदस्यों व अन्य हितधारकों द्वारा अपेक्षित जानकारी/डेटा तक तुरंत पहुंच हेतु उपयोग में आसान मोबाइल ऐप विकसित करना।
- अंत में, नेवा प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से डिजिटल विधानमंडलों के लक्ष्य को प्राप्त करना।

20.3 ई-विधान एमएमपी के तहत स्वचालन के क्षेत्र

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) उन प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है जो सदन के कागज रहित कामकाज और सूचना के डिजिटल आदान-प्रदान के लिए प्रासंगिक हैं। नेवा परियोजना के तहत निम्नलिखित

मॉड्यूल विकसित एवं कार्यान्वित किए गए हैं-

डिजिटल हाऊस, मास्टर डेटा, यूजर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट रिप्लाई, मोबाइल एप्लिकेशन, बिल मैनेजमेंट सिस्टम, लिस्ट ऑफ बिजनेस, कमेटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वेश्चन प्रोसेसिंग, पब्लिक पोर्टल, मेम्बर मॉड्यूल, रिपोर्टर मॉड्यूल, डिजिटल आर्काइव मॉड्यूल, गवर्नमेंट एश्योरेंस मॉड्यूल।

20.4 2023 में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम

i) **नेवा की राष्ट्रीय कार्यशाला:** 24-25 मई, 2023 को नई दिल्ली के अशोक होटल में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं में नेवा परियोजना की मध्यावधि समीक्षा के भाग के रूप में, नेवा पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि श्री पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे और इसमें श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री सहित श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय राज्य मंत्री और श्री वी. मुरलीधरन, माननीय राज्य मंत्री ने भी भाग लिया था। श्री अलकेश कुमार शर्मा, सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, श्री वी. श्रीनिवास, सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, श्री गुडे श्रीनिवास, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और श्री राजित पुनहानी, सचिव, राज्य सभा सचिवालय तथा सीईओ, संसद टीवी ने कार्यशाला को संबोधित किया, जिसमें राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडलों, राज्य सरकारों और एनआईसी के 200 से भी अधिक लोग उपस्थित थे:-

ii) **गुजरात में नेवा परियोजना का उद्घाटन** - भारत की माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के मुख्यमंत्री, श्री भूपेन्द्र पटेल और गुजरात विधान सभा के अध्यक्ष, श्री शंकर चौधरी की उपस्थिति में, गुजरात विधानसभा में डिजिटल विधानमंडल के लिए नेवा परियोजना का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने भी भाग लिया:-

20.5 राज्य विधानमंडलों में नेवा की उपलब्धियाँ

यह वर्ष नेवा परियोजना के सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ क्योंकि नेवा कार्यान्वयन के लिए उत्तराखंड विधानसभा द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के आलावा, उत्तराखंड और

हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को भी नेवा की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 29 सितंबर, 2023 को आयोजित अपनी 12वीं बैठक में मंजूरी दी गई। तमिलनाडु विधान सभा, सिक्किम विधान सभा, त्रिपुरा विधान सभा और गुजरात विधान सभा भी नेवा के साथ सफलतापूर्वक लाइव हो गईं।

i) **तमिलनाडु विधान सभा:** तमिलनाडु विधान सभा ने नेवा को अपनाया और अप्रैल, 2023 में नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सदन का डिजिटलीकरण किया। सीपीएमयू, नेवा टीम ने नेवा प्लेटफ़ॉर्म पर आधिकारिक परिवर्तन से पहले तमिलनाडु विधान सभा सचिवालय को इन-हाउस सहायता प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने नेवा प्लेटफ़ॉर्म पर उनके पहले सत्र के दौरान भी सहायता प्रदान की:-

ii) **सिक्किम विधान सभा**: सिक्किम विधान सभा ने नेवा को अपनाया और मई, 2023 में नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सदन को डिजिटल बनाया। सीपीएमयू, नेवा टीम ने नेवा प्लेटफ़ॉर्म पर आधिकारिक परिवर्तन से पहले सिक्किम विधान सभा सचिवालय को इन-हाउस सहायता प्रशिक्षण प्रदान किया।

iii) **त्रिपुरा विधान सभा**: त्रिपुरा विधान सभा 11 जून, 2023 से नेवा प्लेटफ़ॉर्म पर शामिल होने वाली 10वीं विधानमंडल बनी। विधान सभा ने नेवा प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से 7 जुलाई 2023 से अपना पहला डिजिटल सत्र संचालित किया।

iv) **गुजरात विधान सभा**: गुजरात विधान सभा नेवा प्लेटफॉर्म पर शामिल हुई और 11वीं विधायिका बनी जो नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल हुई। भारत की माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने गुजरात के मुख्यमंत्री, श्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात विधान सभा के अध्यक्ष, श्री शंकर चौधरी की उपस्थिति में गुजरात विधान सभा में डिजिटल विधानमंडल के लिए नेवा परियोजना का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने भी भाग लिया:-

v) **पंजाब विधान सभा**: पंजाब विधान सभा देश की 12वीं विधान सभा बनी जिसने नेवा के माध्यम से अपने सदन को डिजिटल रूप में परिवर्तित किया। पंजाब विधान सभा में नेवा का उद्घाटन श्री भगवंत मान, मुख्यमंत्री, पंजाब ने किया।

20.6 नेवा के कार्यान्वयन की स्थिति: नेवा परियोजना ने अपनी असाधारण यात्रा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्तमान में, 22 विधानमंडलों ने मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 18 को परियोजना मंजूरी और फंडिंग मिल चुकी है। इसके अलावा, 12 विधानमंडलों ने नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सदनों को सफलतापूर्वक डिजिटलीकृत कर लिया है। यह उपलब्धियां परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन और बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करती हैं।

20.7 भाषिनी: वर्तमान में, भाषिनी स्वचालित वाक् पहचान, पाठ से वाक् अनुवाद, पाठ से पाठ अनुवाद और ऑप्टिकल कैरेक्टर पहचान के क्षेत्रों में 22 अनुसूचित भाषाओं में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए काम कर रही है। भाषिनी टीम के साथ हाल ही में हुई एक बैठक के दौरान, इसने एक प्रस्तुति दी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एमएल) गऔर मशीन लर्निं (एआई) की उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके भाषा बाधाओं को पार करने की पहल के शुभारंभ के उद्देश्य को समझाया। टीम ने पाठ से वाक्, पाठ से पाठ इत्यादि सहित विभिन्न भाषाओं के अनुवाद हेतु उपयोग के मामलों का भी प्रदर्शन किया। भाषिनी टीम नेवा प्लेटफॉर्म में एपीआई के एकीकरण में नेवा टीम को सहायता प्रदान कर रही है ताकि उन्नत उपयोक्ता अनुभव के लिए भाषा और अनुवाद टूल की अनुप्रयोज्यता का उपयोग किया जा सके।

21. मंत्रालय में हिंदी का प्रयोग

21.1 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

21.2 राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें 9 मार्च, 15 जून, 26 सितंबर और 22 दिसंबर, 2023 को आयोजित की गई।

21.3 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सलाह देने के लिए मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 18 जनवरी, 2023 को हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई।

21.4 मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा हिन्दी के प्रयोग संबंधी उपबंधों के कार्यान्वयन पर लगातार निगरानी रखने के लिए मंत्रालय के अनुभागों का निरीक्षण किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान पांच अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

21.5 14 से 29 सितम्बर, 2023 के दौरान मंत्रालय में "हिन्दी पखवाड़ा" मनाया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं संचालित की गई। हिन्दी पखवाड़े का समापन समारोह 29 सितम्बर, 2023 को आयोजित किया गया। समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। कुल 30 अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

21.6 मंत्री के वैयक्तिक अनुभाग और अनुसंधान प्रकोष्ठ को छोड़कर मंत्रालय के 12 अनुभागों में से छः अनुभाग शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए और अन्य छः अनुभाग 50 प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट हैं।

21.7 मंत्रालय में हिन्दी के कार्य को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिवेदित अवधि के दौरान दो बार हिंदी कार्यशालाओं का संचालन किया गया। पहली कार्यशाला 24 अप्रैल से 1 मई, 2023 तक और दूसरी कार्यशाला 30 अक्तूबर से 6 नवंबर, 2023 तक संचालित की गई। इन कार्यशालाओं में 23 कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण और आलेखन का प्रशिक्षण दिया गया।

21.8 9वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 20 जून, 2023 को मंत्रालय में योग कार्यशाला का आयोजन किया गया। योग कार्यशाला में ओम शांति रिट्रीट सेंटर, गुरूग्राम से योग विशेषज्ञ ब्रह्मकुमारी विधात्री और ब्रह्मकुमारी पारूल ने योग का प्रशिक्षण दिया।

21.9 30 अक्तूबर से 5 नवंबर, 2023 तक मंत्रालय में मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान 3 नवंबर, 2023 को मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 'देश में भ्रष्टाचार निवारण और नियंत्रण के उपाय' विषय पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

22. संविधान दिवस समारोह, 2023

22.1 26 नवंबर, 2023 को संविधान दिवस के समुचित उत्सव के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय ने संविधान दिवस के अवसर पर पुनः सक्रिय किए गए मंत्रालय के दो पोर्टलों में अधिकतम भागीदारी के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया।

22.2 संसदीय कार्य मंत्रालय ने व्यापक जन भागीदारी के लिए दो वेब-पोर्टल संचालित किए:

- 22 आधिकारिक भाषाओं और अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन वाचन (readpreamble.nic.in)।
- "भारत: लोकतंत्र की जननी" पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी (constitutionquiz.nic.in)।

मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर जनता तक पहुंच स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया और MyGov के अकाउंट बेस का सक्रिय रूप से उपयोग किया। प्रमुख शैक्षिक बोर्डों जैसे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, एनडीएमसी और शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रमुखों से भी छात्र समुदाय को उपरोक्त दो कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया गया था। इन दोनों पोर्टल पर लगभग 28 लाख लोगों ने भाग लिया है**,** जिनका विवरण इस प्रकार है:-

- संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन वाचन - 17,81,496
- **"**भारत: लोकतंत्र की जननी**"** पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी - 10,63,462

23. एनआईसी की साइबर सुरक्षा के अनुपालन की स्थिति पर टिप्पणी

23.1 आईटी सुरक्षा के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) और उप सीआईएसओ नामित किए गए हैं और सीईआरटी-इन को विवरण उपलब्ध कराया गया है।

23.2 "संसदीय कार्य मंत्रालय (एमओपीए) का नेटवर्क लोक सभा नेटवर्क का एक हिस्सा है"। मेसर्स आईबीएम को लोक सभा द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी) के लिए खरीद आदेश जारी किया गया है। यह एमएसपी संसद भवन परिसर के सभी सुरक्षा संचालन केंद्रों और नेटवर्क संचालन केंद्रों का ख्याल रखेगा। यह दिशा-निर्देशों के अनुसार नेटवर्क और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा उपायों का ध्यान रखेगा।

23.3 संसदीय कार्य मंत्रालय ने एप्लिकेशन सुरक्षा, मोबाइल एप्लिकेशन सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, डेटा बैकअप नीति और सुरक्षित क्लाउड सेवाओं का ध्यान रखा है। यह सुनिश्चित किया गया है कि कार्यालय के सभी सिस्टमों पर ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयरों की प्रामाणिक प्रतिलिपि स्थापित की गई हो। सभी सिस्टमों पर प्रामाणिक एंटीवायरस/ईडीआर सॉफ़्टवेयर नियमित सिग्नेचर अपडेट के साथ स्थापित किया गया है।

23.4 संसदीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट (https://mpa.gov.in) वैध एसएसएल प्रमाणपत्र के साथ सुरक्षा और जीआईजीडब्ल्यू/एसटीक्यूसी ऑडिट के अनुरूप है। https://nyps.mpa.gov.in और https://oams.nic.in वेबसाइटों का सुरक्षा ऑडिट प्रक्रियाधीन है।

24. मंत्रालय के स्टाफ का क्षमता निर्माण

24.1 **मिशन कर्मयोगी** - सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह एक ऐसी योजना है जो सिविल सेवक को आचरण और व्यवहार के उच्च मानक बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि वह लोगों का विश्वास अर्जित कर सके और उसके सहकर्मियों और अधीनस्थों द्वारा उसका अनुकरण किया जा सके। भारत सरकार द्वारा लोकतांत्रिक और योग्यता-आधारित क्षमता निर्माण के माध्यम से नागरिक-केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा विकसित करने के लिए मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया है।

24.2 **iGOT कर्मयोगी** एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है जिसे सभी सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण हेतु डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह उपयोगकर्ताओं को

प्रशिक्षित करने के लिए 'कभी भी-कहीं भी-किसी भी डिवाइस' पर सीखने की सुविधा प्रदान करेगा।

24.3 मंत्रालय ने अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए iGot-कर्मयोगी की डिजिटल दुनिया में कदम बढ़ाया है ताकि वे देश की भलाई में योगदान दे सकें। आज की तारीख में, मंत्रालय के सभी कर्मचारी iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर शामिल हैं और इस पर उपलब्ध विभिन्न पाठ्यक्रमों को सीखकर अपने ज्ञान और दक्षता में वृद्धि कर रहे हैं। मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने आज तक iGot-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर निम्नलिखित पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं:

क. परियोजना प्रबंधन
ख. स्व नेतृत्व
ग. कार्यालय प्रक्रिया
घ. ऐतिहासिक निर्णय-आरटीआई अधिनियम, 2005
ङ. समय प्रबंधन
च. उत्कृष्टता के लिए योग
छ. लक्ष्य की स्थापना
ज. टिप्पण और प्रारूपण
झ. उभरती प्रौद्योगिकियों का परिचय
ञ. आचार संहिता
ट. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

25. विशेष अभियान और स्वच्छ भारत मिशन

25.1 संसदीय कार्य मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक लंबित मामलों के निपटान पर एक विशेष अभियान 2.0 शुरू किया, जो लोक शिकायतों के निपटान, संसद सदस्यों के संदर्भ, संसद के आश्वासन, स्वच्छता अभियान, स्क्रैप के निपटान और फाइलों की छंटाई/रिकॉर्ड प्रबंधन आदि पर केंद्रित था। अभियान के दौरान, संसदीय कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित अर्जित किया है:

क. 373 भौतिक फाइलों की समीक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया गया।
ख. 461 ई-फाइलों की समीक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया गया।
ग. विशेष अभियान 2.0 के दौरान 226 फाइलों को नष्ट किया गया।
घ. स्क्रैप की बिक्री से 1,23,810/- रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

25.2 संसदीय कार्य मंत्रालय लोक शिकायतों और प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्रादि का निपटान प्राथमिकता के आधार पर करता है तथा त्वरित व तत्काल कार्रवाई के कारण अभियान के दौरान विलंबता शून्य थी। डिजिटल पहल नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) और ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (ओएएमएस) विशेष अभियान 2.0 के दौरान सर्वोत्तम कार्यप्रणाली बने रहे।

25.3 "स्वच्छ भारत" हमेशा इस मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और तदनुसार इस संबंध में समय-समय पर इस मंत्रालय द्वारा आवश्यक गतिविधियां नियमित रूप से की जाती रही हैं।

इस संदर्भ में, संसदीय कार्य मंत्रालय ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से "जन आंदोलन" पैदा करने और हर किसी के कार्य के रूप में स्वच्छता की अवधारणा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से श्रमदान गतिविधियां शुरू करने के लिए 15 सितंबर, 2023 से 02 अक्टूबर, 2023 के दौरान स्वच्छता ही सेवा अभियान - 2023 भी चलाया। इस संबंध में, मंत्रालय ने वार्षिक स्वच्छता ही सेवा के एक भाग के रूप में कई गतिविधियों की योजना

बनाई। शुरुआत में, मंत्रालय में स्वच्छता ही सेवा के तहत गतिविधियों को शुरू करने/तेज करने के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और उन्हें कचरा मुक्त भारत सुनिश्चित करने के लिए खुद को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया।

2 अक्टूबर, 2023 को महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के–लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय ने कचरा मुक्त भारत के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वच्छता ही सेवा जन आंदोलन की परिणति के रूप में 01.10.2023 को सुबह 10:00 बजे नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पेशवा रोड नई दिल्ली और इसके परिसर के आसपास स्वच्छता हेतु एक तारीख-एक घंटा-एक साथ श्रमदान का आयोजन किया।

26. सोशल मीडिया संबंधी कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। इन प्रयासों से पिछले वर्षों में सोशल मीडिया मेट्रिक्स में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जिसमें इंप्रेशन और जुड़ाव दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेष रूप से, फॉलोअर्स में 36.36% की वृद्धि हुई है, जो बढ़ते हुए और सक्रिय रूप से जुड़े दर्शकों की ओर संकेत करती है। यह मंत्रालय की संचार रणनीति की प्रभावशीलता पर जोर देता है और इसके दर्शकों के बीच बढ़ी जागरूकता में भी परिणत हुआ है।

परिशिष्ट

(देखें पैरा 2)

संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारत सरकार (कार्य का आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को सौंपे गए कार्य:-

1. संसद की दोनों सभाओं को बुलाने और उनका सत्रावसान करने की तिथियां, लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण;
2. दोनों सदनों में विधायी और अन्य सरकारी कार्य की आयोजना तथा समन्वय;
3. सदस्यों द्वारा सूचित किए गए प्रस्तावों पर चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का नियतन;
4. संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं और सचेतकों के साथ सम्पर्क;
5. विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समितियों के सदस्यों की सूचियां;
6. सरकार द्वारा गठित समितियों और अन्य निकायों पर संसद सदस्यों की नियुक्ति;
7. विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन;
8. संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन;
9. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख;
10. संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति को सचिवालयिक सहायता;
11. प्रक्रिया और अन्य संसदीय मामलों में मंत्रालयों को सलाह;
12. संसदीय समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप से लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय;
13. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित रोचक स्थानों के दौरे;
14. संसद सदस्यों के स्वत्वों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामले।
15. संसदीय सचिव - कार्य;
16. सम्पूर्ण देश में विद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन;
17. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन;
18. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का दूसरे देशों के साथ आदान-प्रदान;
19. लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के नियम 377 के अधीन तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नीति का अवधारण और अनुवर्ती कार्रवाई;
20. मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य करने संबंधी निदेशिका;
21. संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20)
22. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30);
23. संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33);
24. संसद में मान्यताप्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5)।